UPBS010027332026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 822/2026

शम्भूनाथ उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र राम बहादुर,
निवासी- साकिन बेलभरिया, थाना परसरामपुर, जिला बस्ती।

..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश।

.....विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या- 42/2026
धारा-103(1),304,317(2) भा०न्या०सं०
थाना-परसरामपुर, जिला बस्ती।

दिनाँक : 16.06.2026

1- आवेदक/अभियुक्त शम्भूनाथ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या - 42/2026, अन्तर्गत धारा-103(1),304,317(2) भा०न्या०सं०, थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त का कथन जमानत प्रार्थनापत्र के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही निर्णीत हुआ है। प्रार्थी निर्दोष है। झूठे मुकदमें में फंसा दिया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी हरिगांव के प्रधान अनुपम चौधरी के ईट भट्ठे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद प्रार्थी ने काम छोड़ दिया और अपना बकाया मजदूरी मांगने लगा। इसी रंजिश को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान पुलिस से मिलकर गलत ढंग से फंसा दिये। प्रार्थी के फरार होने की आशंका नहीं है। प्रार्थी को यदि जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग नहीं करेगा। जमानत प्रार्थनापत्र शपथ-पत्र से समर्थित है।

3- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा आपत्ति की गयी है।

SHAMSUL HAQUE
SESSIONS JUDGE
BASTI

Digitally signed by SHAMSUL HAQUE
Date: 2026.06.16 10:50:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4- प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादिनी मुकदमा रेशमा देवी की मॉ केवला देवी आयु लगभग 72 वर्ष अकेले हरिगांव में घर पर रहती थी। दिनांक 14.02.2026 को रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मॉ को जान से मार दिया है। 15 तारीख को सुबह सूचना मिलने पर हरिगांव पहुॅची तो देखी की उनकी मॉ की लाश खून से सनी थी, कोई अज्ञात व्यक्ति घटना करके भाग गया था। इस आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

वादिनी मुकदमा का बयान दिनांक 05.03.2026 को सी.डी. नम्बर 11 में दर्ज किया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जब उन्होने अपनी मॉ की लाश देखा तो उनके नाक में तथा कान में जो टाप्स पहनती थी, नहीं था नाक में पिन फंसी पड़ी थी तथा ऊपर से किसी ने तोड़कर निकाल लिया था तथा कान में से टाप्स खींचकर निकाल लिया था। नाक व कान से खून भी निकला था। यह किसी शराबी /नसेड़ी का काम है जो पीने के लालच में नाक, कान खींचा है। जब उसकी मॉ उसे पहचान गयी तो उसने हमला करके उनकी मृत्यु कारित कर दी। यह भी बताया कि एक व्यक्ति शम्भू जो प्रधान के भट्ठे पर तथा घर पर काम करता था अक्सर शाम को शराब पीने के लिए पानी पीने के लिए आया करता था, जिससे उसकी मॉ की बहस होती रहती थी तथा मॉ भी उसको गाली व उलूल जुलूल बोलती थी तथा नशे में वह भी गाली व धमकी दिया करता था। वह घटना कारित कर सकता है।

दिनांक 12.03.2026 को सी.डी. नम्बर 12 में राम केवल राजभर का बयान दर्ज किया गया है, जिसने शम्भू के सम्बन्ध में बताया कि वह भट्ठे पर काम करता था तथा केवला देवी की हत्या के बाद भट्ठे पर काम करने नहीं आ रहा है और न आने का कारण पूछने पर बताया कि वह मृतका के घर के पास शराब पीता था तथा केवला देवी के नल पर पानी भरने जाता था। केवला देवी गाली गलौज करती थी। केवल देवी की मृत्यु के पश्चात उसका व्यवहार बदल गया था। संदेह होने पर उसको अनुपस्थित बनाया गया। दिनांक 19.04.2026 को सी.डी.19 पर वादिनी मुकदमा रेशमा देवी का बयान दर्ज किया गया है। उसने बताया कि अभियुक्त शम्भूनाथ अक्सर मॉ से झगड़ा करता था तथा गांव के लोग दबी जुबान से चर्चा कर रहे है कि माता को शंभूनाथ ने ही मारा। पुनः दिनांक 19.04.2026 को एक प्रार्थनापत्र रेशमा देवी द्वारा थाने पर दिया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि उसकी मॉ के नाम व कान में पहने हुए टाप्स को हत्या करने वाले व्यक्ति ने छीन लिया तथा जानकारी मिल रही है कि उसकी मॉ की हत्या शम्भूनाथ ने किया है। शम्भूनाथ को गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पर अभियुक्त की ओर से आपत्ति की गयी तथा यह स्पष्ट किया गया कि गिरफ्तार करने के

पश्चात उसकी पत्नी को मोबाइल से सूचना देने का कथन किया गया। परन्तु फर्द गिरफ्तारी पर पत्नी का अंगूठा निशान लगा है,जो विराधासी है। इस तथ्य पर निष्कर्ष विचारण स्तर पर निकाला जाना है। गिरफ्तारी मेमो तथा फर्द बरामदगी के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि वह मृतका के टप्स को 6,700/-रू में बेच दिया है तथा 1600/-रू० उसके पास से बरामद हुआ। इस प्रकार शक के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त मृतका के घर आता जाता था यह स्पष्ट किया गया है। यद्यपि प्रकरण में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है परन्तु भट्ठे पर काम करना तथा घटना के पश्चात अभियुक्त का भट्ठे पर काम करने हेतु न आने से परिस्थितियां संदिग्ध होती है। जहां तक अभियुक्त द्वारा घटना कारित न किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष विचारण स्तर पर साक्ष्य आने के पश्चात निकाला जाना है। प्रकरण के गुणदोष पर न जाकर परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त शम्भूनाथ द्वारा मुकदमा अपराध संख्या - 42/2026, अन्तर्गत धारा-103(1),304,317(2) भा०न्या०सं०, थाना परसरामपुर, जनपद बस्ती के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज जाता है।

आदेश की प्रति आवेदक/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाय।

दिनाँक – 16.06.2026

(शमसुल हक)
सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।

SHAMSUL HAQUE
SESSIONS JUDGE
BASTI

सुहास चकमा बनाम भारत संघ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में आवरण पत्रक-

न्यायालय का नाम-	न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती।
वाद संख्या-	जमानत प्रार्थनापत्र संख्या -822/2026
वाद शीर्षक-	शम्भूनाथ बनाम उ०प्र० राज्य।
निर्णय की तिथि-	16.06.2026
निर्णय का परिणाम- दोषसिद्धि/खारिज/दोषमुक्ति का व्युत्क्रम/ जमानत आवेदन का निरस्तीकरण	जमानत प्रार्थनापत्र खारिज
निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में सूचित किया गया (हां/नहीं)	हॉ।
अपील/उच्चतर उपचार के अधिकार के संबंध में सूचित किया गया (हां/नहीं)	हॉ।

<u>प्राधिकरण से सम्पर्क का विवरण</u>

प्राधिकरण का नाम -	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्ती।
सचिव का नाम-	श्री देवेन्द्र कुमार प्रथम
कार्यालय का पता-	जनपद न्यायालय, परिसर, बस्ती
दूरभाष/ मोबाईल सं०-	9450474651
बेबसाइट-	x x x
ई-मेल	bastidlsa@gmail.com

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता तथा अपील योजित करने के अधिकार के संबंध में विधिक सेवा संस्थानों से सम्पर्क करने सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गयी है।

अभिहित/पीठासीन अधिकारी

SHAMSUL HAQUE
SESSIONS JUDGE
BASTI